(3)

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी— श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
24 / 2025	03.06.2025	06.04.2026

इस्लाम पुत्र गुलाब, बंजारा निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी —प्रार्थी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी
2. अफजल पुत्र ईदू, बंजारा निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
3. अहसान पुत्र जहूर मोहम्मद, बंजारा निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
4. मरियम पत्नी जहूर मोहम्मद, बंजारा निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
5. रऊफ पुत्र जहूर मोहम्मद, बंजारा निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी
6. हजरत पुत्र जहूर मोहम्मद, बंजारा निवासी अलीगंज तह0 गंगापुर सिटी

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :— श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0न0 658 रकबा 1.06 है0, ख0न0 712 रकबा 0.06 है0, ख0न0 713 रकबा 0.40 है0, ख0न0 715 रकबा 0.38 है0 ख0न0 724 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम खूटला सलौना तह0 गंगापुर सिटी मे स्थित है। उक्त भूमि मे प्रार्थी का नाम इस्लाम पुत्र गुलाब के स्थान पर अलादीन पुत्र गुलाब दर्ज हो गया है। प्रार्थी के सरकारी रिकॉर्ड मे इस्लाम पुत्र गुलाव है जो कि सरकारी दस्तोवज आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक पास बुक सभी मे दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि ख0न0 658 रकबा 1.06 है0, ख0न0 712 रकबा 0.06 है0, ख0न0 713 रकबा 0.40 है0, ख0न0 715 रकबा 0.38 है0 ख0न0 724 रकवा 0.24 है0 वाके ग्राम खूटला सलौना तह0 गंगापुर सिटी प्रार्थी का नाम अलादीन पुत्र गुलाब के स्थान पर इस्लाम पुत्र गुलाब दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी संवत 2073—76 खाता संख्या नया 317 ग्राम खूटला सलौना, [illegible] आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड प्रस्तुत किये है। इसके अलावा सरपंच ग्राम पंचायत अहमदपुर का दिनांक 07.5.2025 को [illegible] पत्र भी प्रस्तुत किया है एवं प्रार्थी स्वयं का, अहसान पुत्र जहूर मोहम्मद, हजरत पुत्र जहूर मोहम्मद का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 15:59:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) गंगापुर सिटी (राज०)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट चाही गई।

अप्रार्थी संख्या 2 व 6 ने अपने जबाब मे प्रार्थी का नाम अलादीन के स्थान पर इस्लाम दर्ज करने के सम्बन्ध मे अपनी अनापत्ति प्रस्तुत की है।

अप्रार्थी तहसीलदार तलावडा की ओर से उनके पत्र क्रमांक राजस्व/25/2126 दिनांक 29.10.2025 के साथ रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके साथ पटवारी हल्का खूटला सलौना की रिपोर्ट भी संलग्न की गई है।

बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करने हुए प्रार्थी का नाम शुद्ध करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि नकल जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 317 ग्राम खूटला सलौना मे प्रार्थी का नाम अलादीन पुत्र गुलाब खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा भूमि एकीकरण संवत 2018 मे प्रार्थी का नाम इस्लाम पुत्र गुलाब जाति मुसलमान बंजारा सा0 अलीगंज खातेदार के रूप मे सहखातेदारी मे दर्ज है। जमाबंदी संवत 2022–25 मे सहखातेदार अलादीन पुत्र गुलाब दर्ज है एवं इसी प्रकार वर्तमान जमाबंदी मे भी अलादीन पिता गुलाब दर्ज है जबकि इस्लाम पिता गुलाब जाति मुसलमान बंजारा दर्ज किया जाना उचित होगा। अतः तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम अलादीन पुत्र गुलाब के स्थान पर इस्लाम पुत्र गुलाब शुद्ध किया जाना उचित है।

कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज0)
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 15:59:40 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 317 भूमि ख0न0 658 रकबा 1.06 है0, ख0न0 712 रकबा 0.06 है0, ख0न0 713 रकबा 0.40 है0, ख0न0 715 रकबा 0.38 है0

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

5

ख0न0 724 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम खूटला सलौना तह0 गंगापुर सिटी में दर्ज नाम अलादीन पुत्र गुलाब के स्थान पर इस्लाम पुत्र गुलाब दर्ज करने का एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में शुद्धि करने का आदेश दिया जाता है। इस खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी।

निर्णय की पालना हेतु निर्णय की सत्य–प्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०)
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 15:59:40 IST
Reason: SelfAttested